न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

<u>प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/2710/2004/सवाई माधोपुर</u>

1. रामस्वरूप पुत्र घीसा – मृतक (जरिये कायममुकाम)

1/1. निरंजन सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी सिधानजट तहसील हिण्डौनसिटी जिला सवाई माधोपुर
1/2. रामश्री पत्नि भूपसिंह, जाति जाट निवासी कृष्णा कॉलोनी – भरतपुर

2. शिवनारायण पुत्र घीसा – मृतक (जरिये कायममुकाम)

2/1. रामसिंह पुत्र शिवनारायण
2/2. कामेरी पुत्री शिवनारायण
2/3. बिमला पुत्री शिवनारायण
2/4. राजबीरी पुत्री शिवनारायण
2/5. सीतादेवी पुत्री शिवनारायण
2/6. प्रीतमकौर बेवा शिवनारायण
–समस्त जाति जाट निवासीगण सिधानजट तहसील हिण्डौनसिटी जिला सवाई माधोपुर

3. अमृत पुत्र गंगाप्रसाद – मृतक (जरिये कायममुकाम)

3/1. गम्भीरसिंह
3/2. मेवाराम चौधरी
3/3. हरभानसिंह
3/4. तेजसिंह
3/5. रामजती
–समस्त पुत्र व पुत्रियां स्वर्गीय श्री अमृतसिंह जाति जाट निवासीगण सिधानजट तहसील हिण्डौनसिटी जिला सवाई माधोपुर

4. रामदयाल पुत्र गंगाप्रसाद – मृतक (जरिये कायममुकाम)

4/1. राजेन्द्र पुत्र रामदयाल
4/2. श्यामवीर पुत्र रामदयाल
4/3. किरनदेवी बेवा रामदयाल
–समस्त जाति जाट निवासीगण सिधानजट तहसील हिण्डौनसिटी जिला सवाई माधोपुर
4/4. गुड्डी पुत्री रामदयाल पत्नि दिगम्बरसिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भतरपुर।

5. साहबसिंह पुत्र औकारया – मृतक (जरिये कायममुकाम)

5/1. चन्दवीरसिंह पुत्र साहबसिंह

5/2. दलीपसिंह पुत्र साहबसिंह

5/3. सतीजा पुत्री साहबसिंह

5/4. जगदीशे पत्नि साहबसिंह

5/5. गुड्डू पुत्र साहबसिंह – मृतक (जरिये कायममुकाम)

5/5/1. रोहित पुत्र गुड्डू

5/5/2. मोहित पुत्र गुड्डू

5/5/3. कश्मीरी पत्नि गुड्डू

–समस्त जाति जाट निवासीगण सिधानजट तहसील हिण्डौनसिटी जिला सवाई माधोपुर

–अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. भरोसी पुत्र मांगी जाट निवासी ग्राम पाली तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर

2. प्रकाश पुत्र मांगी – मृतक

3. उडवईया पुत्र मांगी – मृतक

4. किशन पुत्र मांगी जाट निवासी ग्राम पाली तहसील हिण्डौन जिला सवाई माधोपुर

5. प्रभू पुत्र गंगाप्रसाद – मृतक (जरिये कायममुकाम)

5/1. बल्लभ पुत्र प्रभू

5/2. सुरेन्द्र पुत्र प्रभू

5/3. वीरेन्द्र पुत्र प्रभू

5/4. शान्ति पत्नि प्रभू

–समस्त जाति जाट निवासीगण सिधानजट तहसील हिण्डौनसिटी जिला सवाई माधोपुर

5/5. प्रेम पुत्री प्रभू पत्नि निर्भयसिंह निवासी ग्राम बहज तहसील डीग जिला भरतपुर

5/6. मीना पुत्री प्रभू पत्नि बाबूलाल निवासी कमालपुर तहसील बैर जिला भरतपुर

–प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

खण्डपीठ

श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

श्री एल.आर.गुगरवाल, सदस्य

उपस्थित

श्री माधवराजसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 23–08–2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधापुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–7–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. अपीलार्थीगण ने आलोच्य द्वितीय अपील मियाद से बाधित पेश की है। उक्त कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने बाबत उन्होंने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों के पेश किया है। हमने उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में उभयपक्ष को सुना। प्रार्थना पत्र में अंकित कारण सद्भावी तथा विश्वसनीय होने के कारण अपील पेश करने में कारित विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि विचारण न्यायालय उपजिला कलक्टर हिण्डौन के समक्ष प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 183 बाबत प्रश्नगत आराजी खसरा 13 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 14 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सिंघानजट तहसील हिण्डौन के बाबत अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादीगण का दावा खारिज किए जाने का निवेदन किया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने मामले में अनुतोष सहित 3 विवाद्यक कायम किए। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर उपलब्ध रेकार्ड के

आधार पर वादीगण का वाद आज्ञा दिनांक 28–3–1984 से डिक्री कर दिया। उक्त एकपक्षीय निर्णय को निरस्त कराने बाबत प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 04–6–1984 पेश किया। न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 04–12–1990 को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई प्रारम्भ की। तदुपरान्त भी प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में आलोच्य प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 18–12–1991 से खारिज कर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 28–3–1984 को यथावत रख दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आलोच्य अपील को निर्णय दिनांक 11–3–1999 द्वारा स्वीकार कर अपीलार्थीगण को रूपये 500/– की कॉस्ट पर शहादत पेश करने हेत आदेशित किया। इसके साथ ही उक्त आदेश में आलोच्य अपील को उपजिला कलक्टर हिण्डौन को प्रतिप्रेषित कर आज्ञा प्रदान की कि न्यायालय पक्षकारों को पुनः सुनकर एवं दस्तावेजी तथा मौखिक साक्ष्यों का अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में विचारण न्यायालय ने उक्त वाद में पुनः विचारण प्रारम्भ किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण ने राजस्व मण्डल के द्वितीय अपील पेश किए जाने पर मण्डल की पूर्व माननीय खण्ड पीठ ने निर्णय दिनांक 03–7–2002 से अपीलाधीन निर्णय निरस्त कर प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य अपील में विचारण करते हुए आक्षेपित निर्णय दिनांक 21–7–2003 पारित करते हुए आलोच्य अपील को खारिज कर तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–12–1991 को यथावत रख दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत आराजियात पर दावा दायरी से 70 वर्ष से काबिज चले आ रहे है। उनका कहना है कि विपक्षी ने रहन का दस्तावेज व साक्ष्य पेश नहीं की है तथा यही नहीं रहन किस वर्ष किस शर्त पर कायम की गई है। ऐसी स्थिति में रहन महज जमाबंदी के एक इन्द्राज से साबित नहीं मानी जा सकती। उनका आगे कहना है कि वादीगण का दावा मियाद से बाधित था तथा यही नहीं कि रहन का इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण द्वारा हटवाया गया है व उक्त कार्यवाही में अपीलार्थीगण का पक्ष नहीं सुना गया। उनका यह भी कहना है कि घीसा व गंगाप्रसाद आराजी के अतिक्रमी है तथा घीसा के विरूद्ध दावा अबेट होने पर सम्पूर्ण रूप से दावा अबेट निर्धारित होगा। इस कारण घीसा के वारिसान को वादीगण द्वारा वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। उनका तर्क है कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित्त तनकी संख्या 1 व 2 को वादीगण ने किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया है। उनका यह भी तर्क है कि अमृत पुत्र गंगाप्रसाद की खाते की आराजी अपीलार्थी के नाम दर्ज है, जिसे दुरूस्त करवाने बाबत वादीगण ने कोई वाद दायर नहीं किया। उनका आगे तर्क है कि वादीगण आराजी के खातेदार नहीं होने की स्थिति में उन्हें बेदखली का वाद दायर करने की अधिकारिता नहीं है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–7–2003 व उपजिला कलक्टर हिण्डौन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–1991 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

6. इसके विपरीत योग्य अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर पारित किए जाने के कारण विधि सम्मत होकर ऐसे निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षपे अपेक्षित नहीं है। उनका कहना है कि मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य पेश करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए है, इसके बावजूद भी उनके द्वारा शहादत पेश नहीं की गई है। उनका यह भी कहना है कि मामले में निष्पादित रहन बिल कब्ज है। इसके अतिरिक्त मूल वाद की कार्यवाही में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर नियमानुसार तीन विवाद्यक कायम किए गए तथा तनकी संख्या 2 को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर होने के बावजूद भी उनके द्वारा उक्त तनकी को प्रमाणित नहीं करवाया है। इसके अतिरिक्त रहन बाबत कायम की गयी तनकी संख्या 1 को वादीगण ने सम्पूर्ण साक्ष्य से प्रमाणित करवाया है। उनका तर्क है कि रहन की अवधि 20 वर्ष निर्धारित है तथा उक्त अवधि की समाप्ति के बाद रहन में उल्लेखित आराजी स्वतः ही वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो जाती है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने के कारण ऐसे निर्णय में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि मामले में प्रश्नगत आराजियात के क्रम में निष्पादित रहन मुक्ति की दिनांक 02–7–1976 से वादीगण का दावा अंदर मियाद होना पाया जाता है। इस कारण इस बाबत पृथक से विवाद्यक कायम करने की आवश्यकता नहीं है। रेकार्ड से प्रदर्शित होता है कि मूल वाद की कार्यवाही में निर्मित्त तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का होने के बावजूद उक्त तनकी को उनके द्वारा किसी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं करवाया है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड यथा जमाबंदी सम्वत 2030–2033 के अनुसार जोरावर पुत्र लक्ष्मण राहिन घीसा, गंगाप्रसाद पिता रामहेतु मूर्तहीन दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 02–7–1976 के अनुसार विवादित आराजी बागुजाश्त होकर मूर्तहीन के इन्द्राज को हटाया गया है। सारांशतः इस प्रकार विवादित आराजी को रहन से मुक्त किया गया है।

9. मूल वाद की कार्यवाही में वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य स्वरूप भरोसी के बयान हुए है, जिसके बयानों के अनुसार विवादित आराजी उसके बाबा जोरावर ने घीसा, गंगाप्रसाद के यहां रहन रखी थी। यह भी स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आराजी रहन से मुक्त होने पर भी उक्त भूमि पर कब्जा प्रतिवादीगण द्वारा नहीं छोडा जा रहा है। इसके अतिरिक्त मूल वाद की कार्यवाही में विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकी कि आया विवादित आराजियात की रहन धारा 43 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः ही वादीगण के हक में रीडीम हो चुकी है तथा प्रतिवादी रहन मुक्ति की दिनांक 02–07–1976 को बतौर आराजी पर अतिक्रमी काबिज होना पाया जाता है तथा वादीगण कब्जा प्राप्त करने

के अधिकारी है। उक्त तनकी को वादीगण ने सम्पूर्ण साक्ष्य से साबित कराया है, जबकि प्रतिवादीगण द्वारा तनकी स. 2 के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। सारांशतः वादीगण के वाद में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिया गया अभिमत उचित प्रतीत होता है।

10. उक्त सम्पूर्ण विवेचन की रोशनी में वादीगण द्वारा पेश किए गए वाद के क्रम में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपलब्ध रेकार्ड तथा विधि के प्रावधानों के तहत निर्णय पारित किए है। जिसमें किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। अतः हमारी विनम्र राय में आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पायी जाने के कारण ऐसे निर्णय में द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना परिलक्षित होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने आलोच्य द्वितीय अपील के मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

11. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21-7-2003 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.आर.गुगरवाल)
सदस्य

(सी.आर.मीणा)
सदस्य